

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-752/3-3(5)/2021-22

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 546.95 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	घटक	मद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	Compensatory Afforestation (CA)	CA ASW		294.95
2	CAT Plan - KHUTANI HEP	Preparatory Phase		21.00
3		Project Management		25.00
4		Watershed Management		200.00
5		Consolidation Phase		6.00
		Total		546.95

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए रागग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगमन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट गैनुअल, वित्तीय हस्तपुरितका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, मैं पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही गजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मान्दाओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए रागयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टिसरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर रागयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि रागयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासंभव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में रागयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 752 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुर्गोऊ जोन, उत्तराखण्ड नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुर्गोऊ वृत्त, अल्मोडा को सूचनार्थ प्रेषित।

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-753/3-3(5)/2021-22

दिनांक

21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकाानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 333.14 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	घटक	मद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	CAT Plan - JAMRANI MPP	Project Management		24.00
2		Watershed Management		267.00
3	Other 'Specified' Activities	Plantation - Road Side Plantation	198.03 ha	40.81
4		Maintenance - Gap Filling Plantation	11.91	1.33
		Total		333.14

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमत्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डीपीआर अपेक्षित है उक्त हेतु डीपीआर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डीपीआर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
- कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
- आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

11. उपरिक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरगैट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शारानादेश तथा अन्य सुरांगत नियम, शारानादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस10 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस10 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस10 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 753 /3-3(5)/2021-22 दिनांकितप्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं जोन, उत्तराखण्ड नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nlc.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-754/3-3(5)/2021-22

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 रामनगर वन प्रभाग
रामनगर उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 42.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0सं0	घटक	मद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	Accrued interest	नर्सरी उच्चीकरण, माडर्न नर्सरी की स्थापना	01	42.00
		Total		42.00

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्य हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट गैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
- कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही गजदूरी का भुगतान किया जाए।
- आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।

12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट गैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/साक्षम स्तर द्वारा बैंक/RGGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 754 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्याक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं जोन, उत्तराखण्ड नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-755/3-3(5)/2021-22

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग
रानीखेत उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 39.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0सं0	घटक	मद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	Accrued Interest	नर्सरी उच्चीकरण, गाडन नर्सरी की स्थापना	01	39.00
		Total		39.00

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन गामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
- कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मांगक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
- आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

11. उपरोक्त कार्यों को करायें जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरागेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शारानादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. संपादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयाबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित गद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत संपादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा संपादित कार्यों के यथाराम्य फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. संपादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयाबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 755 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(MOFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं जोन, उत्तराखण्ड नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 757/3-3(5)/2021-22

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता के आधार पर निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 120.86 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	घटक	गव का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	Other 'Specified' Activities	River Training Works	01	120.86
		Total		120.86

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुगम्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराया जाय। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, मैं पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
- कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
- आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
- प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए रागरबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-6 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लसीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/ डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 757 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(MoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ जोन, उत्तराखण्ड नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड रागनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nlc.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-758/3-3(5)/2021-22

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पश्चिमी वन प्रभाग
रामनगर उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 29.46 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	घटक	मद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	Other 'Specified' Activities	River Training Works	01	29.46
		Total		29.46

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमत्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराया जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी०पी०आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी०पी०आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी०पी०आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
- कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
- आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।

12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शारानादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लारीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 758 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ जोन, उत्तराखण्ड नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, तृभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 759 / 3-3(5) / 2021-22
सेवा में,

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग
रामनगर उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।
महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 45.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	घटक	गद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	Accrued Interest	नर्सरी उच्चीकरण, माडर्न नर्सरी की स्थापना	01	45.00
		Total		45.00

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुगम्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अधिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गटित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तापुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
- कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
- आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को गिरस्त कर यथासंगत इस कार्यालय को सूचित किया जाय।

12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लसीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में गनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथाराम्य फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 759 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ जोन, उत्तराखण्ड नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-760 /3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।
महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 195.42 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	गद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	Copensatory Afforestation (CA)	CA ASW	54.305 ha
2	Other 'Specified' Activities	Advance Soil Work for Gap Filling Plantation	90.00 ha
3		Nursery Maintenance - Gap Filling	10000 Nos.
4	Accrued Interest	ANR	130 ha
	Total		195.42

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय

अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही गजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रमाणीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथाराम्य इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रमाणीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शारानादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लारीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रमाणीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 760 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(MOFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती को सूचनार्थ प्रेषित।

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-761/3-3(5)/2021-22

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी डैम-प्रथम
टिहरी उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 70.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	घटक	मद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	Accrued Interest	ANR	120 ha	70.00
		Total		70.00

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डीपीआर अपेक्षित है उक्त हेतु डीपीआर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डीपीआर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
- कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
- आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।

12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरगेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/ डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 761 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती को सूचनार्थ प्रेषित।

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-762/3-3(5)/2021-22

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्र नगर वन प्रभाग
मुनीकिरेती उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 397.47 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	घटक का नाम	मद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	Copensatory Afforestation (CA)	CA ASW	92.985	76.25
2	CAT Plan (Srinagar HEP)	Project Management		12.60
3		Watershed Management		20.65
4	Other 'Specified' Activities	Plantation - Road Side Plantation	49.75 Rkm	253.03
5		Advance Soil Work for Gap Filling Plantation	6.24 ha	0.75
6		Maintenance - Gap Filling Plantation	13.21 ha	5.9
7		Plantation - Gap Filling Plantation	6.24 ha	11.51
8		Nursery Maintenance - Gap Filling	32370 Nos	1.37
9		Advance Soil Work for Dwarf Species Plantation	11.5 ha	8.25
10		Maintenance - Dwarf Species Plantation	34.61 ha	4.08
11		Nursery Raising - Dwarf Species	31577 Nos	3.08
		Total		397.47

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराया जाय। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुरूपी (SQR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु गानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/ATGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन संरक्षक, भागीरथी तृप्त, मनीकुरेती को सूचनार्थ प्रेषित।


(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-763/3-3(5)/2021-22

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 3.79 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	घटक का नाम	मद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	Other 'Specified' Activities	Maintenance - Gap Filling Plantation	4.5	0.49
2		Dwarf Species Plantation	5	1.10
3		Maintenance - Dwarf Species Plantation	20.00	2.20
		Total		3.79

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रतिष्ठि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी०पी०आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी०पी०आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी०पी०आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
- कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
- आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

11. उपरोक्त कार्यों को करायें जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरगैट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शारानादेश तथा अन्य सुरांगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 763 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती को सूचनार्थ प्रेषित।

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 764/3-3(5)/2021-22

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सि०सो० वन प्रभाग
पौड़ी उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत मदों के सापेक्ष आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 42.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	घटक का नाम	मद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	CAT Plan 'Srinagar H.EP'	Project Management		12.00
2		Watershed Management		30.00
		Total		42.00

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अधिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी०पी०आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी०पी०आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी०पी०आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट गैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
- कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले रागरत कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
- आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथारामय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरगेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुरंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर रागरबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. रागरस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

(जे0 एस0 सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 764 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को राादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

(जे0 एस0 सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहसदून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-765/3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग
बद्रीनाथ उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिका अनुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 593.94 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	मद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	Copensatory Afforestation (CA)	CA Plantations	86.185
2		CA ASW – Increased SoR in 2020-21 as indicated in letter no. 2021/11-6 dated 30.11.2021	39.81
3	CAT Plan Tapovan – Vishnugad HEP	Preparatory Phase	40.54
4		Project Management	6.42
5		Watershed Management	11.85
6	CAT Plan- Vishnugad- Peepalkoti HEP	Preparatory Phase	80.32
7		Project Management	20.00
8		Watershed Management	5.90
	Total		389.10
			593.94

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डीपीआर अपेक्षित है उक्त हेतु डीपीआर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डीपीआर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।

6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सागप्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित वर अनुरूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मागलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में महले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक वर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रगाणीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथाराम्य इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रमावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रगाणीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जि0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

dip

(जे० एस्० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nlc.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 766/3-3(5)/2021-22

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 87.84 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र.सं०	मद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	Consolidation Phase		0.55
2	Preparatory Phase		0.92
3	Project Management		7.40
4	Watershed Management		18.13
5	Advance Soil Work for Dwarf Species Plantation	51.68	54.57
6	Nursery Raising - Dwarf Species	62700	6.27
	Total		87.84

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमत्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन गामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले रागरत कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लारीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले रागरत भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन संहिता द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/ डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 766 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्याक्ष कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 767 / 3-3(5) / 2021-22

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग
अलकनन्दा उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकाानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 276.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

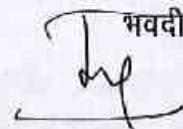
क्र0सं0	मद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	CAT Tapovan - Vishnugad	Consolidation Phase	1.50
2		Project Management	8.50
3		Watershed Management	140.00
4	CAT Vishnugad- Pipalkoti H.EP.	Watershed Management	113.25
5		Project Management	11.25
6		Consolidation Phase	1.50
	Total		276.00

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट गैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु गानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट गैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शारानादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,


(जे0 एस0 सुहाग)
 अपर प्रमुख वन संरक्षक/
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
 उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 767 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(MoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 (जे0 एस0 सुहाग)
 अपर प्रमुख वन संरक्षक/
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
 उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 30) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-768 /3-3(5)/2021-22

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 404.94 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	मद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	CAT Phatta-Byung	Project Management	11.45
2		Watershed Management	61.16
3	CAT Singoli-Bhatwari	Preparatory Phase	3.00
4		Project Management	7.00
5		Watershed Management	90.00
6	CAT Srlnagar H.EP	Preparatory Phase	2.00
7		Project Management	16.68
8		Watershed Management	58.85
9	Other 'Specified' Activities	Plantation - Road Side Plantation	13.00 rkm
10		Nursery Raising - Road Side Plantations	200000 nos.
11		Advance Soil Work for Dwarf Species Plantation	84.35 ha
12		Nursery Raising - Dwarf Species	50000 nos.
	Total		404.94

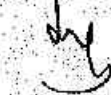
कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।

6. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
8. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कर्मियों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुराची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही भुगतान का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरगैट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लसीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/ डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को सम्पादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय गार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 768 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल जोन, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन संरक्षक, गढवाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-769 / 3-3(5) / 2021-22

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैंसडौन वन प्रभाग
लैंसडौन उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 94.55 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	घटक का नाम	मद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	Other 'Specified' Activities	Nursery Maintenance - Gap Filling	140000 nos	9.55
2	Accrued Interest	हाई टेक नर्सरी निर्माण व उच्चीकरण	1 nos.	85.00
		Total		94.55

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुरितका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
- कैम्पा योजना के अन्तर्गत संपादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
- आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

11. उपर्युक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शारानादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लसीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथारागभव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 769 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(MoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 770 /3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग
कालसी उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।
महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 300.79 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0सं0	घटक का नाम	मद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	CAT Vyasi H.EP	Watershed Management		210.00
2		Project Management		35.00
3		Preparatory Phase		15.00
4	Other 'Specified' Activities	Plantation - Gap Filling	0.96 ha	0.64
5		Nursery Maintenance - Gap Filling	75000 nos	5.34
6		Advance Soil Work for Dwarf Species Plantation	34.06 ha	25.83
7		Maintenance - Dwarf Species Plantation	48.00 ha	8.98
		Total		300.79

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए रागग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।

8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का राक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तापुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य राक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्योरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शारानादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लारीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथाराम्यव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 77 / 3-3(5) / 2021-22

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 623.84 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

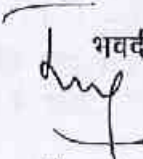
क्र०सं०	घटक का नाम	मद का नाम	भौतिक	(धनराशि ₹ लाख में)
				वित्तीय
1	Other 'Specified' Activities	Plantation - Road Side Plantation	50 Rkm	200.00
2		Nursery Raising - Road Side Plantations	10000 nos	20
3		Maintenance - Gap Filling Plantation	4920 nos.	9.84
4		Plantation - Gap Filling Plantation	11700 nos.	234.00
5		River Training Works	LS	160.00
		Total		623.84

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमत्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।

8. निमाण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट गैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शाराकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु गानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट गैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरगेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,


(जे0 एस0 सुहाग)
 अपर प्रमुख वन संरक्षक/
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
 उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 771 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे० एस० सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा



उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 772/3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।
महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 145.18 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	घटक का नाम	मद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	Other 'Specified' Activities	Maintenance - Gap Filling Plantation	10 ha	1.09
2		Maintenance - Dwarf Species Plantation	10.00 ha	1.09
3	CAT Lakhwar H.EP	Preparatory Phase		50.00
4		Project Management		11.85
5		Watershed Management		79.15
6		Consolidation Phase		2.00
		Total		145.18

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी०पी०आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी०पी०आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी०पी०आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।

8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु गानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-6 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लारीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/ डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. रागरत स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 772 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे० एस० सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077
Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

पत्रांक- 773/3-3(5)/2021-22

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग
चकराता उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 587.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

क्र०सं०	घटक का नाम	मद का नाम	भौतिक	(धनराशि ₹ लाख में)
				वित्तीय
1	CAT Lakhwar H.EP	Preparatory Phase		40.00
2		Project Management		46.00
3		Watershed Management		439.00
4	Accrued Interest	ANR	105 ha	62.00
		Total		587.00

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

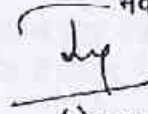
नियम एवं शर्तें:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराया जाय। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन गामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय

स्वीकृति आवश्यक हों, मैं पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु गानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट गैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लारीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासंभव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 773 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 774/3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।
महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 871.80 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	घटक का नाम	मद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	CAT Lakhwar H.EP	Preparatory Phase		100.00
2		Project Management		125.00
3		Watershed Management		550.00
4		Consolidation Phase		25.00
5	Other 'Specified' Activities	Nursery Raising - Dwarf Species (Binog WLS)	100000	8.80
6	Accrued Interest	ANR	107	63.00
		Total		871.80

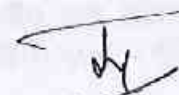
कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमत्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराया जाय। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।

8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु गानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शारानादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1990 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 774 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे० एस० सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nlc.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक— 775/3-3(5)/2021-22
सेवा में,

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
टोंस वन प्रभाग
पुरोला, उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	घटक का नाम	गद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	CAT Mori Naitwar H.EP	Preparatory Phase		20.00
2		Project Management		25.00
3		Watershed Management		153.00
4		Consolidation Phase		2.00
		Total		200.00

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित गानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तापुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लारीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 775 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी रागिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 776/3-3(5)/2021-22

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

उप निदेशक,
नन्दादेवी नेशनल पार्क
जोशीमठ उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 725.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	घटक का नाम	मद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	CAT Lata Tapovan	Preparatory Phase		25.00
2		Project Management		30.00
3		Watershed Management		330.00
4		Consolidation Phase		40.00
5	CAT Tapovan Vishnugad	Preparatory Phase		6.00
6		Project Management		13.00
7		Watershed Management		127.00
8		Consolidation Phase		4.00
9	CAT Vishnugad Pipalkoti HEP	Preparatory Phase		6.00
10		Project Management		13.00
11		Watershed Management		129.00
12		Consolidation Phase		2.00
		Total		725.00

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराया जाय। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी०पी०आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी०पी०आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी०पी०आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।

5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुरूपी (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथारामय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टिसिंग) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,


(जे0 एस0 सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 776 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव उत्तराखण्ड सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. वन संरक्षक/निदेशक, नंदादेवी बायोस्फीयर रिजर्व, गोमेश्वर, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(जे० एस० सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 777 / 3-3(5) / 2021-22

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर, उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।
महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकाानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 427.31 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

क्र०सं०	घटक का नाम	मद का नाम	(धनराशि ₹ लाख में)	
			भौतिक	वित्तीय
1	CAT Phatta-Byung	Preparatory Phase		7.00
2		Project Management		11.00
3		Watershed Management		130.00
4		Consolidation Phase		5.00
5	CAT Tapovan - Vishnugad	Preparatory Phase		3.00
6		Project Management		11.31
7		Watershed Management		38.50
8		Consolidation Phase		6.00
9	CAT Vishnugad- Pipalkoti H.EP.	Preparatory Phase		25.00
10		Project Management		25.00
11		Watershed Management		125.00
12	Other 'Specified' Activities	Plantation - Road Side Plantation	40.5 ha	40.50
		Total		427.31

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रतिबिम्बित सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियाच्ययन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।

3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तापुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासंगत इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शारानादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लारीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा बैंक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में गनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रतिष्ठा की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथारामव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,

(जे0एस0 सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 777 / 3-3(5) / 2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-



उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 778 / 3-3(5) / 2021-22
सेवा में,

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
गोविन्द वन्यजीव विहार
पुरोला, उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

				(धनराशि ₹ लाख में)
क्र०सं०	घटक का नाम	गढ़ का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	CAT Mori Naitwar HEP	Preparatory Phase		17.00
2		Project Management		15.00
3		Watershed Management		168.00
		Total		200.00

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्य हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डीपीआर अपेक्षित है उक्त हेतु डीपीआर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डीपीआर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
- कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही गजदूरी का भुगतान किया जाए।

10. आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 778 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-779 /3-3(5)/2021-22

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

उप निदेशक,
गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क,
उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 88.69 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	घटक का नाम	मद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	Accrued Interest	ANR	115 ha	88.69
		Total		88.69

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्य हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी०पी०आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी०पी०आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी०पी०आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
- कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु गानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
- आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शाराकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शारानादेश तथा अन्य सुरांगत नियम, शारानादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शारानादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. संपादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत संपादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा संपादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. संपादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 779 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nlc.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 780 /3-3(5)/2021-22

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

वन वर्धनिक,
साल क्षेत्र, हल्द्वानी
उत्तराखण्ड

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 31.69 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

क्र०सं०	घटक का नाम	मद का नाम	भौतिक	(धनराशि ₹ लाख में)	
				वित्तीय	
1	Accrued Interest	नर्सरी उच्चिकरण, माडर्न नर्सरी की स्थापना	01	10.00	
2		नर्सरी उच्चिकरण एवं रखरखाव	50000 सं०	5.70	
3		नर्सरी उच्चिकरण एवं रखरखाव	60000 सं०	6.84	
4		नर्सरी उच्चिकरण एवं रखरखाव	80000 सं०	9.12	
		Total		31.66	

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मांगकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमत्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी०पी०आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी०पी०आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी०पी०आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
- कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले रागस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।

- भवदीय,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रबंधन, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन संरक्षक, अनुसंधान वृत्त हल्द्वानी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 781 /3-3(5)/2021-22

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

वन वर्धनिक,
पर्वतीय क्षेत्र
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 10.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	घटक का नाम	मद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	Interest	नर्सरी उच्च्यकरण, माडर्न नर्सरी की स्थापना	01	10.00
		Total		10.00

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुगम्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुरंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
- कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
- आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथाराम्य इस कार्यालय को सूचित किया जाय।

12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लारीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथारागव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 780 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक(MoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रबंधन, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन संरक्षक, अनुसंधान वृत्त हल्द्वानी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceotampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-809 /3-3(5)/2021-22

दिनांक, 30 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

वन वर्धनिक,
साल क्षेत्र,
हल्द्वानी।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्ष 2021-22 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत अर्जित ब्याज घटक के अंतर्गत वाहन किराया/कय मद में भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के सापेक्ष अनुसंधान वृत्त के अंतर्गत वन वर्धनिक, साल क्षेत्र के अधीनस्थ रेंज कार्यालयों के फील्ड कार्यों के उपयोगार्थ मोटर साइकिलों के कय हेतु वन संरक्षक, अनुसंधान वृत्त, हल्द्वानी द्वारा पत्रांक 874/3-2(कैम्पा) दिनांक 30.12.2021 के माध्यम से किये गये अनुरोध के क्रम में आपके स्तर पर ₹ 2.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

इससे पूर्व प्रभाग को इसी मद में ₹ 8.00 लाख की धनराशि भी अवमुक्त की गई है। कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का कैम्पा के निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में ससमय पूर्ण प्रतिवृष्टि सुनिश्चित की जाए। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016 के अंतर्गत निर्गत प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016 में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अधिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डीपीआर अपेक्षित है उक्त हेतु डीपीआर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डीपीआर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
9. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुरंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लसीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/ डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. संपादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 809 /3-3(6)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबंधन, हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन संरक्षक, अनुसंधान वृत्त, हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(जे0 एस0 सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2018 (2018 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nlc.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-756/3-3(5)/2021-22

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू सं वन प्रभाग
नैनीताल उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 127.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	घटक	गद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	Interest	नर्सरी उच्चीकरण, गार्डन नर्सरी की स्थापना	01	46.00
2	CAT Plan - JAMRANI MPP	Watershed Management		81.00
		Total		127.00

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्तें:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2018' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराया जाय। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्य हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डीपीआर अपेक्षित है उक्त हेतु डीपीआर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डीपीआर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
- कैम्पा योजना के अन्तर्गत संपादित कराये जाने वाले सगरत कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
- आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

- भवदीय,

(जे० एस० सुहाग)

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ जौन, उत्तराखण्ड नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे० एस० सुहाग)

अपर प्रमुख वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 751 / 3-3(5) / 2021-22

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोडा वन प्रभाग
अल्मोडा उत्तराखण्ड।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 6225/3-2 दिनांक 27/05/2021।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत आपके वन प्रभाग के स्तर पर स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्न तालिकानुसार आवंटित करते हुए कुल ₹ 67.07 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	घटक	गद का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	Accrued Interest	चीड़ ए०एन०आर०		35.30
2		ओक, ए०एन०आर०		31.77
		Total		67.07

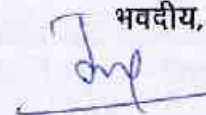
कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित गानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
- अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
- भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अधिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिन कार्यों के संपादन हेतु डी०पी०आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी०पी०आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी०पी०आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
- निर्माण कार्य हेतु अनुगोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुरितका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
- कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
- आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

11. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
12. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबंधन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शारानादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लारीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
15. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
16. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
17. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
18. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
19. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
20. संपादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
21. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
22. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
23. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत संपादित किया जाय।
24. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा संपादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
25. संपादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।

भवदीय,



(जे0 एस0 सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 751 /3-3(5)/2021-22 दिनांकित प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमौऊ जोन, उत्तराखण्ड नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमौऊ वृत्त, अल्मोडा को सूचनार्थ प्रेषित।



(जे0 एस0 सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।